न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./49/2024

1. मुकेश पुत्र भंवरलालजाति महाजन निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. उत्तमचन्द पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंभूलाल पुत्र श्रवण जाति रेगर निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. ऐजन पुत्री नन्दा जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. कजोड़ पुत्र घासी जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. कालू पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. कालू पुत्र सुगना जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. गांगा पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
7. छगना पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. जसराज पुत्र अमरा जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. पप्पू पुत्र सूगना जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. बच्छराज पुत्र सुगना जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
11. रतन पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
12. रामलाल पुत्र घासी जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
13. हंसराज पुत्र सुगना जाति जाट निवासी राममालियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–14.06.2024

उपस्थित – 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवचरण चौधरी
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा राममालिया पटवार क्षेत्र राममालिया भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 242 में दर्ज खसरा नं. 435/2676 रकबा 0.81 कुल किता 01 कुल रकबा 0.81 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 013 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 14 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 तथा 07 लगायत 13 को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 तथा 07 लगायत 13 के उपरिथत नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 तथा 07 लगायत 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री शिवचरण चौधरी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

द्वारा अप्रार्थी संख्या 06 का नाम पत्रावाली से विलोपित करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 में पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 06 का नाम पत्रावाली से विलोपित किया जाकर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाव पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थी से जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम राममालियां के खाता संख्या 242 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा राममालिया पटवार क्षेत्र राममालिया भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 242 में दर्ज खसरा नं. 435 / 2676 रकबा 0.81 कुल किता 01 कुल रकबा 0.81 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500 / – रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)